

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख
सहित

1

2

3

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू।

आदेश

विविध वाद संख्या- 31/2022- 23

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

रामपड़ी कुंवर वगैरह प्रथम पक्ष

बनाम

रामलगन भुईयाँ उर्फ गोरा भुईयाँ वगैरह

..... द्वितीय पक्ष

27-12-2022

विवादी भूमि का विवरण निम्नवत है:-

मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहद्दी
मसिहानी	1	1546	0.25 एकड़	उ०- मुनर भुईयाँ वगैरह द०- रोड पू०- फैहीनुद्दीन खाँ प०- मोजीब खाँ

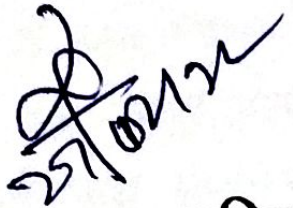
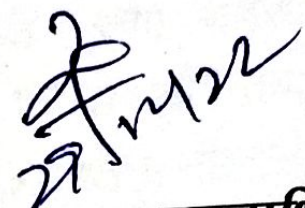
यह प्रक्रिया आवेदिका 1. रामपड़ी कुंवर पति- स्व० शिवनंदन भुईयाँ, 2. फुलमनी देवी पति- स्व० रामराज भुईयाँ ग्राम- मेह, पो०- सदुरीकरमा, थाना- कुदलेरारी, जिला- औरंगाबाद, राज्य- बिहार स्थाई पता- ग्राम- मसिहानी, टोला- मंदेया, पो०+थाना- छत्तरपुर, जिला- पलामू ने 1. रामलगन भुईयाँ उर्फ गोरा भुईयाँ पिता- स्व० कर्मदेव भुईयाँ, 2. जितनी देवी पति- रामलगन भुईयाँ उर्फ गोरा भुईयाँ, ग्राम- मसिहानी, टोला- मंदेया, थाना- छत्तरपुर,

P-129
09-05-23

2

2

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की कार्यवाही के टिप्पणी सदि
1	2	3
	जिला- पलामू के विरुद्ध धारा 144 दं०प्र०सं० अंतर्गत कार्यवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया। प्राप्त आवेदन पत्र पर इस कार्यालय के ज्ञापांक- 1165 दिनांक- 01.11.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, छत्तरपुर एवं थाना प्रभारी, छत्तरपुर से जाँच प्रतिवेदन कि मांग की गई। जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। आवेदिका के द्वारा पुनः दिनांक 04.11.2022 को आवेदन पत्र दाखिल करते हुए वाद भूमि पर दखल- कब्जा को लेकर विधि- व्यवस्था की समस्या को देखते हुए वाद भूमि पर प्रक्रिया कायम करने हेतु अनुरोध किया गया। आवेदन पत्र के अवलोकन करने एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुनने से संतुष्ट होकर वाद भूमि पर धारा 144 दं०प्र०सं० की प्रक्रिया कायम करते हुए नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष को वाद भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं कारण पृच्छा के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह मामला हक हकियत से संबंधित है, जिसका निराकरण करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। पक्षकार चाहें तो विधि अनुरूप सक्षम न्यायालय में पहल करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस आशय के साथ ही वाद कि	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू।	4